N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2024

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0264 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 18/11/2024 16:47 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): मंगलवार Date From (दिनांक से): 07/05/2024 Date To (दिनांक तक): 07/05/2024

Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 11:20 बजे Time To (समय तक): 16:40 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 18/11/2024 Time (समय): 14:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001 Date & Time (दिनांक एवं समय) 18/11/2024 16:47:58 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): SOUTH, 430 किमी Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE

(b)Address(पता): POLICE STATION AAMET, DISTRICT RAJSAMAND

(c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** MANGILAL

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** DEVAJI

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1973 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	POST BIKAWAS, KALERA KA KHERA, CHARBHUJA, RAJSAMAND, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	POST BIKAWAS, KALERA KA KHERA, CHARBHUJA, RAJSAMAND, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	SUMIT BADHALA		पिता:BHAGIRATH MAL	1. GANW MAU,SHRIMADHOPUR,SIKAR,RAJASTHAN,INDIA
2	NARAYAN LAL		पिता:DHANNA JI GUJAR	1. COLLAGE KE SAMNE AAMET,RAJSAMAND,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))

1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		50,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 50,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें, श्रीमान् पुलिस निरीक्षक साहब, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, इन्टेलिजेन्स, उदयपुर। प्रार्थी-परिवादी श्री मांगीलाल पुत्र श्री देवाजी निवासी कालेसर का खेडा पोस्ट बिकावास पुलिस थाना चारभुजा जिला राजसमन्द। विषय-रिश्वत लेते हुए पकड़वाने की कार्यवाही कराने हेतु। महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मेरे टैक्टर सोनालिका कम्पनी का है जिसके नम्बर आर.जे.-30 आर.ए.-8755 जो कि मेरे पुत्र श्री भगवानलाल के नाम पर है जो कि दिनांक 06.05.2024 की रात्रि में आमेट के पास मेरी बजरी पड़ी थी जिसको मेरे टैक्टर से भरकर ढेलाना की तरफ आ रहा था उस दरम्यान दिनांक 07.05.2024 समय करीब 2.30 ए.एम. पर अदरसला मन्दिर के पस मुझे आमेट पुलिस थाने में पदस्थापित श्री सुमित कानि. आया और मेरा टैक्टर रूकवाया तथा मुझे कहा कि ट्रेक्टर को पुलिस थाने मे लेकर चल उस मैंने कहा कि मेरी खुद की बजरी है जो मेरे आमेट के पास पड़ी थी वह लेकर जा रहा हॅू। उसी समय श्री नारायणलाल पिता श्री धन्ना जी गुर्जर निवासी कॉलेज के सामने आमेट भी वहां आ गया। उसके बाद श्री सुमित कानि. ने कहा कि 50,000 रूपये अभी श्री नारायणलाल को दे रहा है तो तेरा ट्रेक्टर छोड़ देता हू नही तो तेरे ट्रेक्टर का केस बना दुंगा इस पर मैंने काफी हाथा जोड़ी की फिर भी नही माने और श्री सुमित कानि. व श्री नारायणलाल (दलाल) ने 50,000 रूपये की मांग की जिस पर मैंने कहा कि अभी तो मेरे पास रूपये नही है मैं कल तक व्यवस्था करके आपसे बात करता हू। श्री सुमित कानि. ने कहा कि श्री नारायण लाल से ही मिल लेना और इसी को रूपये दे देना मैं अब ज्यादा बात नही करूंगा। इसके बाद मेरे ट्रेक्टर में जो रेती थी वह वही पर खाली करवा दी और दोनो वहां से चले गये। मै श्री सुमित कानि. व उसके दलाल श्री नारायणलाल गुर्जर को रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हॅू और दोनो को पकड़वाना चाहता हॅू। कृपया कानूनी कार्यवाही करवाने हेतु रिपोर्ट पेश है। भवदीय दिनांक- 07.05.2024 एसडी श्री मांगीलाल पुत्र श्री देवाजी निवासी कालेसर का खेडा पोस्ट बिकावास पुलिस थाना चारभुजा जिला राजसमन्द। कार्यवाही पुलिस महोदय वाकियात मामला इस प्रकार है कि दिनांक 07-05-2024 समय 11.20 ए.एम. पर परिवादी श्री मांगीलाल पुत्र श्री देवा जी गुर्जर निवासी कालेसर का खेड़ा पोस्ट बिकावास पुलिस थाना चारभुजा जिला राजसमन्द के मोबाईल नम्बर [redacted] से मन् पुलिस निरीक्षक डां. सोनू शेखावत के मोबाईल नम्बर [redacted] पर हुई वार्ता में बताया कि मेरे एक ट्रेक्टर जिसके नम्बर आर.जे.-30 आर.ए. -8755 जो कि मेरे पुत्र श्री भगवानलाल के नाम पर है जो कि रात्रि में आमेट के पास मेरी बजरी पड़ी थी जिसको मेरे ट्रेक्टर से भरकर ढेलाणा की तरफ जा रहा था उसी दरम्यान रात्रि में करीबन 2.30 बजे अदरसला मन्दिर के पास मुझे आमेट पुलिस थाने में पदस्थापित श्री सुमित कानि. आया और मेरा ट्रेक्टर रूकवाया तथा मुझे कहा कि ट्रेक्टर को पुलिस थाने मे लेकर चल उस मैंने कहा कि मेरी खुद की बजरी है जो मेरे आमेट के पास पड़ी थी वह लेकर जा रहा हॅू। उसी समय श्री नारायणलाल पिता श्री धन्ना जी गुर्जर निवासी कालेज के सामने आमेट भी वहां आ गया। उसके बाद श्री सुमित कानि. ने कहा कि 50,000 रूपये अभी श्री नारायणलाल को दे रहा है तो तेरा ट्रेक्टर छोड़ देता हू नही तो तेरे ट्रेक्टर का केस बना दुंगा इस पर मैंने काफी हाथा जोड़ी की फिर भी नही माने और श्री सुमित कानि. व श्री नारायणलाल (दलाल) ने 50,000 रूपये की मांग की जिस पर मैंने कहा कि अभी तो मेरे पास रूपये नही है मैं कल तक व्यवस्था करके आपसे बात करता हू। श्री सुमित कानि. ने कहा कि श्री नारायण लाल से ही मिल लेना और इसी को रूपये दे देना मैं अब ज्यादा बात नही करूंगा। इसके बाद मेरे ट्रेक्टर में जो रेती थी वह वही पर खाली करवा दी और दोनो वहां से चले गये। मै श्री सुमित कानि. व उसके दलाल श्री नारायणलाल गुर्जर को रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हॅू और दोनो को पकड़वाना चाहता हॅू। जिस मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को ब्यूरो कार्यालय उदयपुर पर उपस्थित होने हेतु बताया तो परिवादी ने बताया कि मैं अपनी रिपोर्ट मौके पर ही दे दूगा अगर मै उदयपुर आता हॅू तो आरोपीगण कभी भी मेरे पास आ सकते है तथा मैं यहां पर नही मिला तो उनको शंका हो सकती है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को आवश्यक हिदायत देते हुए कानि. श्री अजय कुमार के नम्बर [redacted] देते हुए बताया कि उक्त कानि. आपसे आकर सम्पर्क कर लेगा तथा कार्यालय में पदस्थापित श्री अजय कानि. को तलब कर परिवादी श्री मांगीलाल के बताये हुए हालात से अवगत कराया गया तथा परिवादी के मोबाईल नम्बर श्री अजयकुमार कानि. को दिये गये। तत्पश्चात् समय 11.40 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक के द्वारा श्री अजय कुमार कानि को कार्यालय कक्ष की अलमारी में रखा डिजिटल वाईस रिकार्डर मगवाया जाकर उसमें एक नया मेमोरी कार्ड

डिजिटल वाईस रिकार्डर में लगवाया तथा मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा कानि. को परिवादी से सम्पर्क कर रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता कर लाने हेतु आवश्यक हिदायत देते हुए ब्यूरो कार्यालय से आमेट के लिए रवाना किया गया। तत्पश्चात् समय 10.00 पी.एम. पर श्री अजय कुमार कानि मय डिजिटल वाईस रिकार्डर ब्यूरो कार्यालय उदयपुर पर समय 9.30 पी.एम. पर उपस्थित हुआ और मन् पुलिस निरीक्षक को ब्यूरो का डिजिटल वाईस रिकार्डर एवं परिवादी द्वारा हस्त लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया कि आपके निर्देशानुसार मैं आज दिनांक 07-05-2024 को प्रातः 11.40 ए.एम. पर डिजिटल वाईस रिकार्डर लेकर गोमती चैराहा पर समय करीब 2.30 पी.एम. पर पहुंचकर परिवादी श्री मांगीलाल से जरिये दूरभाष समय 2.33 पी.एम. पर संपर्क किया तो परिवादी श्री मांगीलाल ने बताया कि आप गौमती चैराहा पर ही खड़े रहो मै अपने बच्चे भगवानलाल को आपके मोबाईल नम्बर देकर भेज रहा हूँ वो आपको मेरे पास लेकर आ जायेगा। करीब 1 घंटे बाद श्री भगवान लाल मेरे पास आया तथा मुझे लेकर परिवादी श्री मांगीलाल के पास आमेट के पास गांव आसन गये जहा मुझे परिवादी श्री मांगीलाल उपस्थित मिला। मैंने परिवादी को अपना परिचय देकर अपने आने के मंतव्य से अवगत कराते हुए उसकी शिकायत पर कार्यवाही हेतु रिपोर्ट मांगने पर परिवादी श्री मांगीलाल ने मुझे टाईपशुदा हस्ताक्षर शुदा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो जिसमें परिवादी ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया कि " मेरे एक ट्रेक्टर सोनालिका कम्पनी का है जिसके नम्बर आर.जे.-30 आर.ए.-8755 जो कि मेरे पुत्र श्री भगवानलाल के नाम पर है जो कि दिनांक 06.05.2024 की रात्रि में आमेट के पास मेरी बजरी पड़ी थी जिसको मेरे ट्रेक्टर से भरकर ढेलाणा की तरफ जा रहा था उसी दरम्यान दिनांक 07.05.2024 समय 2.30 ए.एम. पर अदरसला मन्दिर के पास मुझे आमेट पुलिस थाने में पदस्थापित श्री सुमित कानि. आया और मेरा ट्रेक्टर रूकवाया तथा मुझे कहा कि ट्रेक्टर को पुलिस थाने मे लेकर चल उस मैंने कहा कि मेरी खुद की बजरी है जो मेरे आमेट के पास पड़ी थी वह लेकर जा रहा हूँ। उसी समय श्री नारायणलाल पिता श्री धन्ना जी गुर्जर निवासी कॉलेज के सामने आमेट भी वहां आ गया। उसके बाद श्री सुमित कानि. ने कहा कि 50,000 रूपये अभी श्री नारायणलाल को दे रहा है तो तेरा ट्रेक्टर छोड़ देता हू नही तो तेरे ट्रेक्टर का केस बना दुंगा इस पर मैंने काफी हाथा जोड़ी की फिर भी नही माने और श्री सुमित कानि. व श्री नारायणलाल (दलाल) ने 50,000 रूपये की मांग की जिस पर मैंने कहा कि अभी तो मेरे पास रूपये नही है मैं कल तक व्यवस्था करके आपसे बात करता हू। श्री सुमित कानि. ने कहा कि श्री नारायण लाल से ही मिल लेना और इसी को रूपये दे देना मैं अब ज्यादा बात नही करूंगा। इसके बाद मेरे ट्रेक्टर में जो रेती थी वह वही पर खाली करवा दी और दोनो वहां से चले गये। मै श्री सुमित कानि. व उसके दलाल श्री नारायणलाल गुर्जर को रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूँ और दोनो को पकड़वाना चाहता हूँ। कानूनी कार्यवाही कराने हेतु रिपोर्ट पेश है।" पेश शुदा रिपोर्ट को मैंने अपने पास रखा एवं परिवादी को ब्यूरो के डिजिटल वाईस रिकार्डर के संचालन की विधि से भलीभांति गई। डिजिटल वाईस रिकार्डर आन करा समय करीब 04.17 पी.एम. पर संदिग्ध दलाल श्री नारायणलाल गुर्जर की लोकेशन जानने हेतु परिवादी ने अपने मोबाईल नम्बर [redacted] से नारायणलाल गुर्जर के मोबाईल नम्बर [redacted] पर लाउॅडस्पीकर आन कर कॉल किया तो श्री नारायणलाल (दलाल) द्वारा नूरजी का कारखाना, सेलटेक्स नाका आमेट पर आने हेतु बताया उक्त वार्ता को ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड किया गया था। उसके बाद मैं व परिवादी श्री मांगीलाल गुर्जर उसकी मोटरसाईकिल से समय करीब 04.20 पी.एम. पर आसन से आमेट के लिये रवाना हुए तथा समय करीब 04.30 पी.एम. पर नूर जी का कारखाना आमेट में पहुचे तत्पश्चात् समय करीब 4.40 पी.एम. पर मेरे द्वारा पुनः डिजिटल टेप रिकार्डर आन कर परिवादी को संदिग्ध आरोपीगण श्री सुमित कानि. व श्री नारायणलाल गुर्जर (दलाल) से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु सुपुर्द किया। मैं पास ही हनुमान जी के मंदिर में अपनी उपस्थिति छिपाते हुए मुकीम रहा। जिस पर करीब 5.34 पी.एम. पर परिवादी श्री मांगीलाल मेरे पास आया तथा मुझे डिजिटल वाॅईस रिकार्डर बंद करके दिया जो मैंने मेरे पास सुरक्षित रख लिया। परिवादी ने मुझे बताया कि "नूरजी का कारखाना, सेल टेक्स नाका आमेट पर मुझे संदिग्ध श्री नारायण लाल गुर्जर मिला तथा मेरे से बजरी का ट्रेक्टर छोड़ने की एवज में रिश्वत राशि की मांग की तथा श्री नारायणलाल ने उसके मोबाईल नम्बर [redacted] से श्री सुमित कानि. के मोबाईल पर वार्ता कर बुलाया तथा मैंने श्री सुमित कानि. से रिश्वत राशि के बारे में वार्ता करना चाही परन्तु उसी दरम्यान श्री नारायणलाल ने श्री सुमित कानि. की ओर कुछ ईशारा किया और श्री सुमित कानि. ने मुझे पास ही स्थित नूर का कारखाना पर बने कमरे की तरफ लेकर गया और मेरी तलाशी ली तो मेरे पास डिजिटल टेप रिकार्डर को देखकर रिश्वत राशि के सम्बन्ध में बात करने से इंकार करते हुए मौके से मोटरसाईकिल लेकर रवाना हो गया। श्री सुमित कानि. के वहा पर आने से पूर्व उसके दलाल श्री नारायणलाल ने मेरे से श्री सुमित कानि. को रिश्वत राशि देने के बारे में खुलकर वार्ता की जा चूकी थी। उक्त बातचित को मेरे द्वारा डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड किया गया है।" उसके बाद मेरे द्वारा परिवादी ने बताये हुए हालात के बारे में आपको (पुलिस निरीक्षक) जरिये दूरभाष समय 5.35 पी.एम. पर वार्ता कर हालात से अवगत करवाया गया तत्पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी से भी वार्ता की गई तो परिवादी ने बताया कि श्री सुमित कानि. बहुत ही चालाक व हौशियार है तथा उसके दलाल श्री नारायण लाल गुर्जर ने मेरे से श्री सुमित कानि. के नाम पर रिश्वत राशि की बातचीत की गई परन्तु श्री सुमित कानि. को शंका होने से उसने मेरी तलाशी ली और मेरे पास डिजिटल टेप रिकार्डर देखने के बाद रूपये लेने की बात से इंकार करते हुए मौके से चला गया है तथा अब उनको मेरे द्वारा करवाई जा रही कार्यवाही की जानकारी होने से अब रिश्वत राशि की ना तो

मांग करेंगे और ना ही ग्रहण करेंगे तथा श्री नारायणलाल दलाल व श्री सुमित कानि. के खिलाफ जो भी कार्यवाही बनती है वह करने के लिये मैं आपके कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा जिस पर परिवादी को दिनांक 08.05.2024 को ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होने हेतु कहा जिस पर परिवादी श्री मांगीलाल ने बताया कि मेरी पत्नी बीमार चल रही है जब भी समय मिलेगा मैं आपके ब्यूरो कार्यालय इन्टें उदयपुर में उपस्थित हो जाउंगा, तत्पश्चात् निर्देशानुसार मैं डिजिटल टेप रिकार्डर व परिवादी की रिपोर्ट लेकर आमेट से समय 6.00 पी.एम. पर रवाना होकर गौमती होते हुए समय 9.30 पी.एम. पर भ्र. नि. ब्यूरो कार्यालय इन्टें उदयपुर पहुचा। डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड को चालु कर परिवादी व संदिग्धगण के मध्य हुई मांग सत्यापन वार्ता को सुना गया तो श्री नारायणलाल गुर्जर दलाल द्वारा श्री सुमित कानि. के नाम पर रिश्वत राशि मांग व परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों की ताईद हुई। परिवादी की रिपोर्ट व डिजिटल टेप रिकार्डर को सुरक्षित कार्यालय में रखा गया तथा परिवादी के ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित होने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात् दिनांक 13-05-2024 को समय करीब 10.45 ए.एम. पर परिवादी श्री मांगीलाल गुर्जर से मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा जरिये दूरभाष वार्ता कर परिवादी की रिपोर्ट पर अग्रिम कार्यवाही करने हेतु ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होने हेतु कहा जिस पर परिवादी ने अवगत कराया कि मेरी पत्नी की तबीयत अभी तक खराब चल रही है तथा मैं दिनांक 14.05.2024 को आपके कार्यालय में अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित हो जाउंगा। उक्त कार्यवाही में परिवादी श्री मांगीलाल गुर्जर द्वारा दिनांक 14.05.2024 को ब्यूरो कार्यालय पर अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित होना अवगत करवाया गया है तथा परिवादी व संदिग्धगण के मध्य परिवादी श्री मांगीलाल गुर्जर का बजरी से भरा ट्रेक्टर छोड़ने की एवज में रिश्वत राशि मांग सत्यापन मोबाईल व रूबरू वार्ता दिनांक 07.05.2024 की फर्द ट्रान्सक्रिप्ट मुर्तिब करने व अग्रिम कार्यवाही हेतु दो स्वतन्त्र गवाहान की दिनांक 14.05.2024 को प्रातः 11.00 ए.एम. पर ब्यूरो कार्यालय में तलबी हेतु आज जरिये पत्रांक 693 दिनांक 13.05.2024 से श्रीमान् निदेशक खान एवं भूं विज्ञान विभाग राजस्थान उदयपुर को पत्र प्रेषित किया गया। जिसके क्रम में निदेशालय खान एवं भूं विज्ञान विभाग राजस्थान उदयपुर का पत्रांक 1386 दिनांक 13.05.2024 प्राप्त हुआ जिसके अनुसार श्री विवेक तिवाड़ी कनिष्ठ सहायक एवं श्री महेश यादव कनिष्ठ सहायक को ब्यूरो में दिनांक 14.05.2024 को उपस्थित होने का पत्र प्राप्त हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया तत्पश्चात् दिनांक 14-05-2024 समय 11.10 ए.एम. पाबन्दशुदा गवाह श्री विवेक तिवारी हाल कनिष्ठ सहायक निदेशालय खान एवं भूं विज्ञान विभाग उदयपुर एवं श्री महेश चन्द्र यादव हाल कनिष्ठ सहायक निदेशालय खान एवं भूं विज्ञान विभाग उदयपुर उपस्थित आये दोनो स्वतंत्र गवाहान को मन् पुलिस निरीक्षक ने उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाहान के रूप मे उपस्थित रहने हेतु कहने पर दोनो ने अपनी-अपनी सहमति मौखिक ही व्यक्त की गई जिन्हे कार्यालय में सुरक्षित बिठाया गया तथा समय 03.00 पी.एम. पर परिवादी श्री मांगीलाल गुर्जर पुत्र श्री देवा जी गुर्जर निवासी कालेसर का खेड़ा पोस्ट बिकावास पुलिस थाना चारभुजा जिला राजसमन्द ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये तथा कार्यालय में उपस्थित दोनो स्वतन्त्र गवाह श्री विवेक तिवाड़ी व श्री महेश चन्द यादव को कार्यालय कक्ष में तलब किया गया तथा परिवादी श्री मांगीलाल गुर्जर व दोनो गवाहान का आपस में परिचय करवाया गया, तत्पश्चात् श्री अजयकुमार कानि. को तलब कर कार्यालय में सुरक्षित रखवाई हुई परिवादी की रिपोर्ट एवं डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड मंगवाया गया। परिवादी को उसकी ओर से दी गई रिपोर्ट के सम्बन्ध में मजिद पुछताछ करने पर परिवादी ने रिपोर्ट में अंकित किये गये तथ्यों की ताईद करते हुए बताया कि मैं पढ़ा लिखा नही हु तथा केवल साक्षर हू तथा मुझे हस्ताक्षर करने आते है जिसके कारण मैंने आमेट में तहसील के बाहर किसी टाईप की दुकान पर रिपोर्ट टाईप करवाई उसके बाद मैंने उस पर हस्ताक्षर कर दिनांक 07.05.2024 को श्री अजय कुमार जी कानि. मेरे पास आये उनको यह रिपोर्ट दी थी। इस दौरान् परिवादी श्री मांगीलाल गुर्जर ने बताया कि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 07.05.2024 के दौरान् श्री नारायणलाल गुर्जर दलाल ने पच्चास हजार रूपये रिश्वत राशि में से पांच या दस हजार कम कर देने की वार्ता की गई थी तथा उसके बाद श्री सुमित कानि. भी मांग सत्यापन के दौरान् श्री नारायणलाल गुर्जर दलाल द्वारा फोन पर बात कर बुलाया और श्री नारायणलाल दलाल द्वारा श्री सुमित कानि. को ईशारा करने व उसको शंका होने से श्री सुमित कानि. द्वारा मेरी तलाशी ली गई और तलाशी में डिजिटल टेप रिकार्डर को देखकर श्री सुमित कानि. ने रिश्वत राशि के लिये इंकार करते हुए मोटरसाईकिल लेकर चला गया था। उसके बाद श्री अजय कुमार कानि. को डिजिटल टेप रिकार्ड मय मेमोरी कार्ड सुपुर्द किया तथा हालात से अवगत कराया गया व आपको भी फोन पर वार्ता कर पूर्व में बताये गये हालात की ताईद की। श्री मांगीलाल परिवादी ने बताया कि मैं दिनांक 07.05.2024 को मेरे घर कालेसर का खेड़ा पर ही था और दिनांक 08.05.2024 को रात्रि में श्री सुमित कानि. व उसके साथ एक वर्दीधारी पुलिसकर्मी जो खमनोर थाने में पोस्टिंग होना बता रहा था जो मेरे घर पर आये और मुझे काफी डराया धमकाया और श्री सुमित कानि. ने मुझे कहा कि मेरे खिलाफ ए.सी.बी. की कोई कार्यवाही हुई तो तेरा सारा काम धंधा बन्द करा दुंगा और तुझे झूठे केस में फंसा दूंगा उसके बाद वह दोनो मेरे घर से चले गये थे। मेरे घर पर भी सी.सी.टी.वी. केमरे लगे हुए है, वह दोनो मेरे घर पर आये जो सी.सी.टी.वी. केमरे में रिकार्ड है जिसके रिकार्डिंग को मैं पृथक से आपके कार्यालय में पेश कर दूंगा। परिवादी श्री मांगीलाल गुर्जर की रिपोर्ट दिनांक 07-05-24 को परिवादी व दोनों गवाहान के समक्ष पढ़कर सुनाई गई तो परिवादी ने शब्द-ब-शब्द सही होना मान रिपोर्ट पर स्वयं के हस्ताक्षर अंकित होना जाहिर किया। उक्त रिपोर्ट पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये।

परिवादी ने बताया कि अब श्री नारायणलाल गुर्जर दलाल व श्री सुमित कानि. द्वारा डिजिटल टेप रिकार्डर मेरे पास देखने से ना तो अब मेरे से बात करेंगे और ना ही रिश्वत राशि ग्रहण करेंगे इसलिये मेरी और उनके बीच हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 07.05.2024 अनुसार जो भी कार्यवाही बनती है वह करावे। तत्पश्चात् समय 4.20 पीएम पर दिनांक 07-05-24 को रिश्वती राशि के मांग सत्यापन के दौरान परिवादी श्री मांगीलाल गुर्जर की वार्तालाप संदिग्धगण श्री नारायणलाल गुर्जर (दलाल) व श्री सुमित कानि. के मध्य आमने सामने/मोबाईल नूरजी का कारखाना, सेल टेक्स नाका आमेट पर हुई, जिसे परिवादी के द्वारा ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड की गई। उक्त डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड को श्री अजयकुमार कानि. से कार्यालय हाजा के लेपटाप से कनेक्ट करा वार्तालाप की एक पेनड्राईव व दो सी. डी. तैयार की गयी। एक पेनड्राईव सेनडिस्क 16 जी.बी. पर मूल लिखा तथा दोनो सी.डी. पर डब सीडी लिखा गया। मूल पेनड्राईव को लेपटाप से चलाकर वार्तालाप की फर्द ट्रान्सक्रीप्ट तैयार की जाकर मूल पेनड्राईव को उसके कवर में रखा गया व उस पर परिवादी व दोनो गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये व दो डब सीडीयों पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर मूल पेनड्राईव को कपड़े की थैली में रखकर सिलचिटबंद कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर सुरक्षित रखी गई। फर्द ट्रान्सक्रीप्ट भी पृथक से तैयार की जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये थे। इसके बाद समय 7.00 पी.एम. पर परिवादी श्री मांगीलाल गुर्जर तथा संदिग्ध श्री नारायणलाल गुर्जर दलाल व श्री सुमित कानि. के मध्य दिनांक 07-05-24 रिश्वती राशि के मांग सत्यापन के दौरान हुई वार्तालाप जो ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड हुई। उक्त मेमोरी कार्ड को डिजिटल टेप रिकार्डर में से मूल ही निकलवाया गया तो मेमोरी कार्ड 16 जी.बी. जिस पर सेनडिस्क अल्ट्रा लिखा हुआ है जिसकी हेसवेल्यू निकालकर जरिये फर्द वजह सबूत नियमानुसार कवर में रखकर कपड़े की थैली सिलचिट बन्द कर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा कब्जे ब्यूरो लिया गया। परिवादी श्री मांगीलाल गुर्जर व दोनो गवाहान को मुनासिब हिदायत देकर रूखसत किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 16-05-24 समय 5.00 पी.एम. पर परिवादी श्री मांगीलाल गुर्जर द्वारा ब्यूरो कार्यालय पर एक पेनड्राईव 32 जी.बी. सेनडिस्क कम्पनी का परिवादी ने दिया जो प्राप्त हुआ उक्त पेनड्राईव का लेपटाप में चालु कर देखा गया तो दिनांक 08.05.2024 की रात्रि में दो पुलिसकर्मी वर्दीधारी परिवादी व परिवादी के परिवार के सदस्यों के सामने कुर्सी पर बैठकर बातचीत करते हुए उसके बाद काफी समय तक रूकने के बाद चले जाने का विडियों फूटेज है। जिससे स्पष्ट है कि दिनांक 07.05.2024 को श्री सुमित कान्सटेबल के दलाल श्री नारायणलाल गुर्जर द्वारा परिवादी से बजरी का ट्रेक्टर छोड़ने के नाम पच्चास हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग दौराने् मांग सत्यापन की गई तथा मांग सत्यापन के दौरान् श्री सुमित कान्सटेबल द्वारा श्री नारायणलाल व परिवादी श्री मांगीलाल के पास आया मांग सत्यापन के दौरान् श्री सुमित कानि. के दलाल श्री नारायणलाल द्वारा ईशरा करने पर श्री सुमित कानि. द्वारा परिवादी श्री मांगीलाल की तलाशी लेने पर डिजिटल टेप रिकार्डर देखा गया था तत्पश्चात् श्री सुमित कानि. द्वारा मौके से रवाना होकर दूसरे दिन दिनांक 08.05.2024 को ए.सी.बी. की कार्यवाही के बारे में परिवादी के घर कालेसर का खेड़ा पर श्री सुमित कानि. व उसके साथ एक वर्दीधारी पुलिसकर्मी का आना विडियो फूटेज से स्पष्ट है, उक्त पेनड्राईव को नियमानुसार कब्जे ब्यूरो लिया गया। इस प्रकार परिवादी श्री मांगीलाल गुर्जर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर दिनांक 07.05.2024 को करवाई गई मांग सत्यापन वार्ता से स्पष्ट है कि परिवादी के बजरी के टेक्टर को छोडने की एवज् में श्री नारायणालाल गुर्जर पुत्र श्री धन्ना जी गुर्जर निवासी कालेज के सामने आमेट (प्राईवेट व्यक्ति दलाल) द्वारा पुलिस थाना आमेट के कानि. सुमित को देने के लिए रिश्वत राशि 50,000 रूपये की मांग की गई तथा मांग सत्यापन वार्ता के दौरान श्री नारायण लाल द्वारा श्री सुमित कानि. को टेलिफोन कर बुलाया जिस दौरान श्री नारायणलाल द्वारा श्री सुमित कानि. को ईशारा करने पर श्री सुमित कानि. ने परिवादी श्री मांगीलाल की तलाशी लेने पर डिजिटल टेप रिकार्डर देखा गया तत्पश्चात् श्री सुमित कानि. द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि लेने का मना करते हुए मौके से रवाना होकर दूसरे दिन दिनांक 08.05.2024 को ए.सी.बी. की कार्यवाही के बारे में परिवादी के घर कालेसर का खेड़ा पर श्री सुमित कानि. व उसके साथ एक वर्दीधारी पुलिसकर्मी द्वारा आकर परिवादी को डराया धमकाया जो परिवादी के द्वारा पेश सी.सी.टी.वी. विडियो फूटेज से स्पष्ट है। अतः आरोपीगण श्री सुमित बधाला पुत्र श्री भागीरथ मल गांव मउ थाना व तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर तत्कालीन कानिस्टेबल नम्बर 120, पुलिस थाना आमेट जिला राजसमन्द जुर्म धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61 (2) बी.एन.एस. 2023 एवं श्री नारायणालाल गुर्जर पुत्र श्री धन्ना जी गुर्जर निवासी कालेज के सामने आमेट (प्राईवेट व्यक्ति दलाल) के विरूद्ध जुर्म धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61 (2) बी.एन.एस. 2023 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु सादर प्रेषित है। भवदीय (डां. सोनू शेखावत) पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो इन्टे, उदयपुर।.......कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट डां. सोनू शेखावत, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो इन्टे.उदयपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अर्न्तगत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व धारा 61(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 में आरोपीगण 1.श्री सुमित बधाला पुत्र श्री भागीरथ मल, गांव मउ, थाना व तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर तत्कालीन कानिस्टेबल नम्बर 120, पुलिस थाना आमेट, जिला राजसमन्द एवं 2. श्री नारायणलाल (प्राईवेट व्यक्ति दलाल) पिता श्री धन्ना जी गुर्जर, निवासी कोलेज के सामने आमेट, जिला राजसमन्द के विरूद्ध

पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री मंशाराम, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजसमन्द को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 240 पर अंकित है।(ज्ञान सिंह चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1450-53 दिनांक 18-11-2024 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:–1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर। 2-पुलिस अधीक्षक, जिला राजसमन्द। 3-उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर। 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इन्टे.उदयपुर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** MANSHA RAM **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,IN
Date: 1[illegible]/2024 [illegible]

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	13/07/1999				
2	Male	1994				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)